न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– सुखराम खोखर
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
67 / 2016 / प्रा.पत्र / 2016	09.11.2016	22.01.2021

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री उत्सव जैन पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार जैन जाति महाजन निवासी एन–32, भगतसिंह कॉलोनी निवाई जिला टोंक प्रोपरायटर मैसर्स केसरलाल फूलचन्द एण्ड कम्पनी बी–17, न्यू ग्रीन मण्डी निवाई जिला टोंक
2. मैसर्स केसरलाल फूलचन्द एण्ड कम्पनी बी–17, न्यू ग्रीन मण्डी निवाई जिला टोंक
3.श्री सुनिल जैन पुत्र श्री सुरेश चन्द जैन निवासी 61, जनकपुरी, दोदपुर अलवर राज. नॉमिनी मैसर्स जयन्ती बेवरेजेज ग्राम दादर नागल पालखाडी रोड अलवर राज.
4. मैसर्स जयन्ती बेवरेजेज ग्राम दादर नागल पालखाडी रोड अलवर राज.

...... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–
1–प्रार्थी की ओर से श्री सत्यनारायण गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–श्री कैलाश शर्मा,अभिभाषक अप्रार्थीगण उपस्थित

:–निर्णय–: **दिनांक 22.01.2021**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.05.2016 को समय 4.00 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स केसरलाल फूलचन्द एण्ड कम्पनी बी–17, न्यू ग्रीन मण्डी निवाई जिला टोंक के गोदाम मायला बाग निवाई जिला टोंक पर पहुंचां। विक्रेता की हैसियत से श्री उत्सव जैन पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार जैन जाति महाजन निवासी एन–32, भगतसिंह कॉलोनी निवाई जिला टोंक प्रोपरायटर मैसर्स केसरलाल फूलचन्द एण्ड कम्पनी बी–17, न्यू ग्रीन मण्डी निवाई जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया [illegible] जनता को विक्रय हेतु दुकान के गोदाम मे **स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड वाटर (जयन्ती कोला** [illegible]) जिसके बैच नम्बर 422 एवं पैकिंग

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:31:05 IST
Reason: SelfAttested

1182

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

की दिनांक 22.04.2016 अंकित थी,रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर, एफ.बी.ओ. श्री उत्साव जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता उत्सव जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान के गोदाम मे 600 कार्टून पैक्ड अवस्था मे प्रत्येक 250 मिली पैक **स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड वाटर (जयन्ती कोला ब्राण्ड)** रखे हुये मे से दो कार्टून खोलकर ज्यो का त्यो पैक्ड अवस्था मे 250 मिली पैक की 48 बोतल मूल पैक वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री उत्सव जैन को रू0 410/-अक्षरे चार सौ दस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड वाटर (जयन्ती कोला ब्राण्ड)** 48 बोतल मूल पैक प्रत्येक 250 मिली पैक को 12-12 बोतल के बराबर-बरावर चार भाग तैयार कर चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I-1392 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग-अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I-1392 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. उत्सव जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाध पदार्थ का नमूना क्रय करते समय श्री उत्सव जैन ने मौके पर **स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड वाटर (जयन्ती कोला ब्राण्ड)** बतौर वारंटी मैसर्स जयन्ती बेवरेजेज ग्राम दादर नागल पालखाडी रोड अलवर राज.का बिल/इन्वॉइस नं.372 दिनांक 18.05.2016 की छायाप्रति प्रति पेश की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2016/3637 दिनांक 15.09.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1789/एक्ट/2016/2769 दिनांक 03... के अनुसार उत्सव जैन से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड वाटर (जयन्ती कोला ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:31:05 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट 1183
टोंक

Scanned by CamScanner

एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded)स्तर का **स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड वाटर (जयन्ती कोला ब्राण्ड)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)की उप धारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सहपठित धारा 49) में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड वाटर (जयन्ती कोला ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड वाटर (जयन्ती कोला ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री उत्सव जैन पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार जैन जाति महाजन निवासी एन–32, भगतसिंह कॉलोनी निवाई जिला टोंक प्रोपरायटर मैसर्स केसरलाल फूलचन्द एण्ड कम्पनी बी–17, न्यू ग्रीन मण्डी निवाई जिला टोंक पर शास्ति 5,000 (अक्षरे पांच हजार रू0) अप्रार्थी श्री सुनिल जैन पुत्र श्री सुरेश चन्द जैन निवासी 61, जनकपुरी, दोदपुर अलवर राज. नॉमिनी मैसर्स जयन्ती बेवरेजेज ग्राम दादर नागल पालखाडी रोड अलवर राज.पर शास्ति 5,000 (अक्षरे पांच हजार रू0)आरोपित की जाती है।अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 22.01.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:31:05 IST
Reason: SelfAttested

1184